


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

17-10-23

पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया उपस्थित,
वकील वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मीलघाड़ा

डिक्री

(आठ 20 नियम 6 / जा०पी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
इस जलस भी श्री. मन्मथू देवी प/० श्री. चौकाल रामा निवासी चौड़ास तहसील माण्डल (आ००००००)

अनवान प्रकरण

श्री. मन्मथू देवी प/० श्री. चौकाल रामा निवासी चौड़ास तहसील माण्डल

वादी


बनाम

श्री. देवसिंह डी. श्री. लखनसिंह शाहपूर निवासी चौड़ास तहसील माण्डल
शाहसाम रामा पति श्री. लखनसिंह प/० माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 मुकदमा नं०/वर्ष 03/22 निर्णय दिनांक 17.10.23
यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजागिब मुददई व श्री. लखनसिंह शाहपूर निवासी चौड़ास तहसील माण्डल मुदावला पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा
183 R.T.A के तहत स्वीकार किया जाकर वादिया के पक्ष में
पत्र प्रतिवादी से. 01 के विकट इस आशय की छिडी जारी की जाती
है कि ग्राम चौड़ास परवार लका चौड़ास मू. अगिलेस जिरी इला
सहित पीयास तण्डल की आराजी नं. 843/1 रकबा 0.0379
है वटेयर से प्रतिवादी से. 01 का कब्जा हटाया जाकर वादिया को
वापस दिलाया जावे।

आज तारीख 17.10.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की
गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा